

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
—: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक 01.10.2015

क्रमांक 319/एफ 2015-04-02364/वित्त/नियम/चार :: इस विभाग के आदेश क्रमांक 405/एफ-766/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 7 दिसम्बर, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय अधिकार पुस्तिका में संशोधन संबंधी प्रस्ताव के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री सतीश पाण्डे, संयुक्त सचिव, वित्त - अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (नियम शाखा) - सदस्य
3. डॉ. ए.के. सिंह, उप सचिव, वित्त - सदस्य
4. प्रशासकीय विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य  
(जो उप सचिव/संयुक्त संचालक से कम स्तर का न हो) (केवल भाग-2 हेतु)
5. अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (नियम शाखा) - संयोजक सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीरज कुमार मिश्रा)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 320/एफ 2015-04-02364/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 01.10.2015  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, वित्त के निज सचिव/सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. श्री सतीश पाण्डे, संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त (नियम शाखा), मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. डॉ. ए.के. सिंह, उप सचिव, वित्त, मंत्रालय, नया रायपुर ।
5. संबंधित प्रशासकीय विभाग का प्रतिनिधि -उप सचिव/संयुक्त संचालक ।
6. अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त (नियम शाखा) मंत्रालय, नया रायपुर ।

(नीरज कुमार मिश्रा)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
वित्त विभाग